

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 05/2018, विधि विभाग, बिहार के अधीन विधायी कार्य सेवा के अन्तर्गत सहायक निदेशक (विधान)–सह–सहायक विधान काउन्सेल (Assistant Director (Legislation)-cum-Assistant Legislative Counsel) के 04 (चार) रिक्त स्थायी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpscbih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 04 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	कोटि	कोटिवार रिक्ति की कुल संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	गैर-आरक्षित वर्ग (01)	02	01
	अनुसूचित जाति (02)	01	—
	अनुसूचित जनजाति (03)	—	—
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)	01	—
	पिछड़ा वर्ग (05)	—	—
	पिछड़ा वर्ग की महिला (06)	—	—
	कुल	04	01

2. **वेतनमान :-** 15600–39100/- + ग्रेड पे– 5400/-

3. **आपेक्षित योग्यता एवं अनुभव :-**

स्नातक स्तर पर हिन्दी-अंग्रेजी विषय के साथ विधि स्नातक या पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम का विधि स्नातक और तीन वर्ष का विधायी कार्य का अनुभव।

नोट:- विधायी कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र देने हेतु भारत सरकार या बिहार सरकार या उनके अधीन लोक उपक्रम के सचिव/प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकर होंगे।

4. **उम्र सीमा :-** दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम, अनारक्षित वर्ग (पुरुष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित वर्ग (महिला)– 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)– 42 वर्ष।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 13062, दिनांक– 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक– 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **चयन प्रक्रिया** – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर।

प्रतियोगिता परीक्षा विवरणात्मक होगी तथा निम्नलिखित पत्रों की होगी :-

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान यह पत्र भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि सहित बिहार के विशेष संदर्भ तथा समसामयिक घटनाओं जिसमें महत्वपूर्ण न्यायादेश, अधिनियमिती और संशोधन भी सम्भिलत होगा, के साथ सामान्य ज्ञान का होगा।	100 अंक
2.	सामान्य हिन्दी यह सामान्य प्रकृति का हिन्दी ज्ञान से संबंधित होगा जिसमें अन्यर्थीयों के हिन्दी व्याकरण, हिन्दी लिखने की पात्रता और अंग्रेजी भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद करने की क्षमता की जांच की जाएगी।	100 अंक
3.	सामान्य अंग्रेजी यह एक सामान्य प्रकृति का अंग्रेजी-ज्ञान से संबंधित होगा जिसमें अन्यर्थीयों के अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी लिखने की पात्रता और हिन्दी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने की क्षमता की जांच की जाएगी।	100 अंक
4.	भारतीय संविधान विधायी कार्य के विशेष संदर्भ के साथ भारत के संविधान की सामान्य संकल्पना।	100 अंक
5.	बिहार से संबंधित विधियाँ बिहार सेवा संहिता, बिहार कोषागार संहिता, बिहार विश्वविद्यालय विधि, बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार नगरपालिका अधिनियम।	100 अंक

6.	प्रक्रिया और दण्ड विधियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय सांक्षय अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, विधि निर्वचन, मैक्रिस्म ऑफ लॉ, विधिक शब्दावली, संविधा विधि, वाणिज्यिक विधियाँ, निर्वचन विधि, बिक्री कर अधिनियम और साधारण खण्ड अधिनियम।	100 अंक
7.	प्रारूपण करार, सद्भावना ज्ञापन (एम.ओ.यू.) मुख्तारानामा, प्राधिकार पत्र, पटटा, घोषणा इत्यादि के प्रारूपण के अतिरिक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, उपविधि इत्यादि का प्रारूपण।	100 अंक
8.	साक्षात्कार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित अन्यर्थीयों को व्यक्तिगत साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा।	100 अंक

प्रतियोगिता परीक्षा का स्तर स्नातक स्तर का होगा। प्रतियोगिता परीक्षा दो पालियों में ली जा सकेगी, प्रत्येक प्रश्न-पत्र की अवधि 03 (तीन) घंटे की होगी तथा मेधा सूची तैयार करने में सभी विषयों के अंक सामिल किए जायेंगे।

लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तथा 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा।

साक्षात्कार में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तथा 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अंतिम मेधा सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

6. आरक्षण :-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अन्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii) (A) अनुसूचित पत्र जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निमांकित प्रमाण-पत्र जामा करना अनिवार्य होगा :–
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास (डोमेस्टिक इल)
 - (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जामा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सकारा द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सकारा द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत होनी पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्ति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (vii) ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में दिव्यांगता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का

दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

7. शुल्क :-

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों एवं राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/आनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए 200/- (दो सौ) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 750/- (सात सौ पचास) रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया।

भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार की संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस सदमें में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क-सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश

निम्नांकित हैं:- (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	17.07.2018 से 07.08.2018 तक
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	10.08.2018
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	16.08.2018
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निर्बंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	23.08.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट-1: जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अगली तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

नोट-2: जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसके अगले तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक-10.08.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की

जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इन्तजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपतोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अंतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मार्ग जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अंतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्थायी से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह 23.08.2018, के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना-800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्वामिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमबार अवश्य संलग्न करें :-

(a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);

(b) विधि स्नातक प्रमाण-पत्र;

(c) विधि स्नातक अंक पत्र;

(d) भारत सरकार या बिहार सरकार या उनके अधीन लोक उपक्रम के सचिव/प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत विधायी कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र;

(e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/आनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्वामिप्रमाणित प्रति। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पिता के नाम से।

(f) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वामिप्रमाणित प्रति;

(g) भुगतान से संबंधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;

(h) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वामिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(i) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।

- (iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, वैंकरसीद एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन—पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण—पत्र के निर्णत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।
11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण—पत्र, अंक—पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अध्यार्थियों की अहंता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण—पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
13. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
14. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
15. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
16. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संयुक्त सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।